

इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 10 अगस्त 2026—श्रावण—19, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2026

क्र. 7633-159-इक्कीस-अ (प्रा.) .- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 अगस्त, 2026 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ६ सन् २०२६

मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, २०२६

[दिनांक ७ अगस्त, २०२६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १० अगस्त, २०२६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, २०२६ है.

संक्षिप्त नाम

२. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) की धारा ६ में, उप-धारा (१) में, परन्तु के अंत में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात् :-

धारा ६ का
संशोधन.

“परन्तु यह और कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी लिखत या लिखतों के वर्ग को, इस भाग के अधीन देय उपकर की देयता और भुगतान से छूट प्रदान कर सकेगी.”.

निरसन तथा ३. (१) मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ (क्रमांक २ सन् २०२६) एतद्वारा निरसित किया जाता है।
व्यावृत्ति।

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2026

क्र. 7633-159-इक्कीस-अ (प्रा.) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव।

MADHYA PRADESH ACT

NO. 6 OF 2026

THE MADHYA PRADESH UPKAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2026

[Received the assent of the Governor on the 7th August, 2026; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 10th August, 2026.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-seventh year of the Republic on India as follows:-

- | | |
|--------------------------------|---|
| Short title. | 1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Upkar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2026. |
| Amendment of Section 9. | 2. In Section 9 of the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982), in sub-section (1), at the end of the proviso, for full stop colon shall substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:-

"Provided further that the State Government may, by notification, exempt any instrument or class of instruments from the liability and payment of cess payable under this part." |
| Repeal and saving. | 3. (1) The Madhya Pradesh Upkar (Sanshodhan) Adhyadesh, 2026 (No. 2 of 2026) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act. |